

### इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केन्द्रीय कार्यालय: 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

### शेयरधारकों को नोटिस

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक बुधवार 21 मार्च, 2012 को सुबह 10.30 बजे कामराज मेमोरियल हॉल, नयी संख्या 492, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006 में निम्नलिखित कार्यों हेतु आयोजित की जाएगी:

 निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विशेष संकल्प (संकल्पों) के रूप में विचार करना और यदि यथोचित हो तो संशोधन के साथ अथवा संशोधन के बगैर पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें ) विनियमन 2003 और इस संबंध में यथा अपेक्षित भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड और / या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अन्मोदन, सहमति और मंजूरी, यदि कोई हो, किए जाने पर और ऐसे निबंधनों और शर्तो और उनके संशोधनों के अधीन जैसा कि उनके द्वारा ऐसे अनुमोदन करने में निर्धारित किए गए हों जिसके लिए बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो और जो सेबी (प्ँजी का निर्गमन और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2009 (सेबी आइ सी डी आर विनियम) और भारतीय रिजर्व बैंक व सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों के अधीन और स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए लिस्टिंग करार के अधीन जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की स्वीकृति को बैंक के निदेशक मंडल की सहमति एतदद्वारा दी जाती है (आगे से जिसे "मंडल" कहा जाएगा और जिसमें कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसका गठन मंडल द्वारा किया हो या आगे किया जाएगा ताकि वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके जिसमें इस संकल्प द्वारा दिए गए अधिकार भी शामिल हैं )।

### **Indian Overseas Bank**

Central Office 763,Anna Salai, Chennai 600 002

### NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that an **Extraordinary General Meeting** of the shareholders of Indian Overseas Bank will be held on Wednesday, 21<sup>st</sup> March, 2012 at 10.30 a.m. at Kamraj Memorial Hall, New No. 492, Anna Salai, Chennai 600 006 to transact the following business:

1. To consider and if thought fit pass with or without modification the following resolution(s) as Special Resolution(s):

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution)



- क) भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर रु. 1675करोड़ (रुपए सोलह सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) तक सेबी आइ सी डी आर विनियमन के विनियमन 76(1) के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित रु. 97.82 प्रति ईक्विटी शेयर (रु.87.82 प्रति ईक्विटी शेयर प्रीमियम शामिल है) की इश्यू कीमत पर नकद के लिए रु. 10/- (रुपया दस मात्र) की दर से 17,12,32,876 (सत्तरह करोड ब़ारह लाख बत्तीस हजार आठ सौ छिहत्तर) ईक्विटी शेयर सृजित करना, प्रस्तावित करना, निर्गमित करना व आबंटित करना।
- ख) भारतीय जीवन बीमा निगम को और/अथवा एल आइ सी की विभिन्न योजनाओं ( एल आइ सी ) को अधिमानी आधार पर रु 302,63,03,022 ( तीन सौ दो करोड तिरसठ लाख तीन हजार बाईस मात्र) तक सेबी आइ सी डी आर विनियमन के विनियमन 76 (IV) के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित रु. 97.82 प्रति ईक्विटी शेयर (रु.87.82 प्रति ईक्विटी शेयर प्रीमियम शामिल है ) की इश्यू कीमत पर नकद के लिए रु. 10/- (रुपया दस मात्र) की दर से 3,09,37,467 (तीन करोड नौ लाख सैतीस हजार चार सौ सडसठ) ईक्विटी शेयर मृजित करना, प्रस्तावित करना, निर्गमित करना व आबंटित करना।

"आगे संकल्प किया जाता है कि इश्यू कीमत निर्धारित करने की संबंधित तिथि है 17 फरवरी 2012."

"आगे संकल्प किया जाता है मंडल को प्राधिकार और अधिकार होगा कि वह मंडल की सहमति के अनुरूप निर्गमन, आबंटन और उनको सूचीबद्ध करने हेतु अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनुमितयों और मान्यता / मंजूरी देते समय भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शोयर सूचीबद्ध है या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा

- A) To create, offer, issue and allot up to 17,12,32,876 (Seventeen Crore Twelve Lac Thirty Two Thousand Eight Hundred and Seventy Six) equity shares of Rs.10/each (Rupees Ten only) for cash at Issue Price of Rs. 97.82 per Equity Share (Including premium of Rs. 87.82 per Equity Share) as determined by the Board in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations up to Rs. 1675 crore (Rupees Sixteen hundred and Seventy five Crore) only on preferential basis to Government of India (President of India).
- To create, offer, issue and allot up to 3,09,37,467 (Three Crore Nine Lac Thirty Seven Thousand Four Hundred and Sixty Seven) equity shares of Rs. 10/each (Rupees Ten only) for cash at Issue Price of Rs. 97.82 per Equity Share (Including premium of Rs. 87.82 per Equity Share) as determined by the Board in accordance with Regulation 76 (IV) of SEBI ICDR Regulations up to Rs. 302,63,03,022 (Rupees Three Hundred Two Crore Sixty Three Lac Three Thousand and Twenty Two) only preferential basis to Life Insurance Corporation of India and / or various Schemes of LIC (LIC).

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 17<sup>th</sup> February, 2012."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of

अपेक्षित और अधिरोपित अनुसार प्रस्ताव में कोई भी संशोधनकरे।"

" संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले कथित ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के समरूप स्तर के होंगे और वे ऐसी घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश यदि कोई हो, के पात्र होंगे।"

"आगे संकल्प किया जाता है आगे संकल्प किया गया है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह उसके विवेकाधिकार के तहत आवश्यक समुचित व वांछनीय कार्रवाई, करार, मामले और कार्य निपटा सके और ईक्विटी शेयरों के निर्गमन के समय उत्पन्न होने वाले प्रश्नों, समस्याओं या संदेहों को निपटा सके और आगे ऐसे सभी मामलों व कार्यों को अंतिम रूप दे सके और उसके विधिवत विवेकाधिकार के तहत उचित व आवश्यक, वांछित व लाभकर दस्तावेजों व लेखन कार्य का निपटान करें जो उनके विवेकाधिकार के अनुरूप उचित था वांछनीय हो तथा जिसके लिए शेयरधारकों की सहमित या अनुमोदन की आवश्यकता न हो। ऐसा समझा जाए कि इस संकल्प के द्वारा प्रदत्त प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त अनुमोदन प्राप्त हो गया हो।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वे सभी अधिकारों या उनको दिए गए अधिकारों से किसी एक को बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है जो कथित संकल्प को लागू करने के लिए उपयुक्त हो।"

बोर्ड के निदेशकों के आदेशानुसार,

according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors

स्थान : चेत्रै

**दिनांक :** 21/02/2012

(ए. के. बंसल)

कार्यपालक निदेशक

Place: Chennai Date: 21/02/2012 (A.K. Bansal)
Executive Director



### टिप्पणियाँ :

1. बैठक की कार्यवाही के संबंध में वास्तविक तथ्यों का व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

### 2. परोक्षी की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हक़दार शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु एक परोक्षी नियुक्त कर सकते हैं और आवश्यक नहीं कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो। परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए उसे असाधारण सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार 16 मार्च 2012 को शाम 5.00 बजे कार्य समाप्ति से पहले बैंक के केंद्रीय कार्यालय स्थित महा प्रबंधक (निवेशक संबंध), इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, 763 अण्णा सालै, चेन्ने 600 002 के यहाँ जमा करना चाहिए।

### 3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

किसी कंपनी या किसी निकाय निगम के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैठक में भाग लेने या वोट करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि संबंधित संकल्प की एक प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित की हुई प्रमाणित प्रति होनी चाहिए जिसमें वह संकल्प पारित हुआ था, को महा प्रबंधक (निवेशक संबंध), इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002 के यहाँ असाधारण सामान्य बैठक की तिथि से चार दिन पहले (उससे कम नहीं) यानि शुक्रवार 16 मार्च 2012 को शाम 5.00 बजे के कार्य समाप्ति तक या उससे पहले जमा नहीं कर दी जाती।

### **NOTES:**

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

### 2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy form, in order to be effective, must be received by the General Manager (Investor Relations), Indian Overseas Bank, Central Office, 763,Anna Salai, Chennai 600 002, not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of 05.00 p.m. on Friday 16<sup>th</sup> March, 2012.

### 3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited with the General Manager (Investor Relations), Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600 002, not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e., on or before the closing hours of 05.00 p.m. on Friday 16<sup>th</sup> March, 2012.



### 4. उपस्थिति पर्ची -सह-प्रवेश पत्र

शोयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों /परोक्षियों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची -सह-प्रवेश-पत्र को भरकर निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करे तथा उसे बैठक के स्थान पर प्रस्तुत कर दें। शेयरधारक के "परोक्षी / प्राधिकृत प्रतिनिधि " द्वारा उपस्थिति पर्ची पर परोक्षी या प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।

# अध्याय VII (सेबी आइसीडीआर विनियम) के संदर्भ में अपेक्षितानुसार व्याख्यात्मक विवरण और प्रकटन

- क. अधिमान इश्यू के लक्ष्य
  पूँजी पर्याप्तता के संदर्भ में बेसल (II व III)
  अपेक्षाओं के अनुपालन की दृष्टि से पूँजी में वृद्धि
  करने की लगातार आवश्यकता है। सरकारी
  स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को
  मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार बैंकों में
  अतिरिक्त ईक्विटी पूँजी डालने का प्रस्ताव देता है।
  बढ़ी हुई पूँजी का प्रयोग बैंक की पूँजी पर्याप्तता को
  बढ़ाने और बैंक के सामान्य कारोबारी
  आवश्यकताओं का वित्तपोषण करने में किया
  जाएगा।
- ख. प्रस्तावित ईक्विटी शेयरों को बैंक के प्रवर्तक -भारत सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम और / या एलआइसी की योजनाओं (एल आइ सी) द्वारा अंशदानित किया जाएगा।
- ग. इश्यू के पहले और बाद की शेयरधारिता पैटर्न निम्नवत होगी:

### 4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

## Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII (SEBIICDR Regulations)

- a) Objects of the Preferential Issue
  With a view to comply with BASEL (II &
  III) requirements relating to capital
  adequacy, there is an ever increasing need
  to raise capital. Government of India
  proposes to infuse additional equity
  capital into the Bank to strengthen the
  government owned financial institutions
  and banks. The capital raised would be
  utilized to shore up the capital adequacy
  of the Bank and to fund the general
  business needs of the Bank.
- b) The proposed offer of equity shares will be subscribed by Government of India the Promoter of the Bank, Life Insurance Corporation of India and / or various Schemes of LIC (LIC).
- c) Shareholding Pattern before and after the Issue will be as under:



क्रम सं. Sl. No.	वर्ग Catagory	इश्यू के पहले (1' Before the Issue (A	7.02.2012 को)	इश्यू के After the	
31. 110.	Category	धारित शेयरों की	शेयरधारिता की	धारित शेयरों की	शेयरधारिता की
		यास्त शयस का संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता प्रतिशतता
			I		
		No.of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
अ	प्रवर्तकों की धारिता				8
Α.	Promoter's Holding				
1	प्रवर्तकों				
	Promoters				
	भारत सरकार		6-97-1-00-1-0-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0		
	Government of India	40 75 49 343	65.87	57 87 82 219*	70.50*
	विदेशी प्रवर्तक				
	Foreign promoters				
2	सहमति पर कार्यरत व्यक्तियों				
	Persons acting in concert				
	उप कुल				
	Sub Total	40 75 49 343	65.87	57 87 82 219*	70.50*
आ	गैर प्रवर्तकों की धारिता	40 73 49 343	03.07	37 67 62 217	70.50
В.	Non -Promoter Holding				
3	संस्थागत निवेशक				
3	Institutional Investors				
	एल आइ सी				
	LIC	6 92 10 148	11.19	10 01 47 615*	12.20*
क	म्युचुअल फंड और यूटीआइ			_	
a.	Mutual Funds and UTI	1 03 95 956	1.68		
ख	बैंक, वित्तीय संस्थाएँ, बीमा				
	कंपनियाँ (केंद्र/राज्य) सरकारी				
	संस्थान/गैर सरकारी संस्थान)	50 40 224	0.02		
b.	Banks, Financial Institutions,	50 49 224	0.82		
	Insurance Companies (Other				
	than LIC) (Central/State Govt. Institutions/Non-Govt. Institutions)				
ग	एफआइआइ				
c.	FII's	2 99 61 771	4.84		
	उप कुल	2 3 3 01 7 7 1	1.01		
	Sub Total (a+b+c)	4 54 06 951	7.34		
4	अन्य			14 19 89 852	17.30
	Others			1113 03 002	17.00
 क	निजी निगम निकाय				
a.	Private Corporate Bodies	1 64 07 446	2.65		
ख	भारतीय जनता	***			
b.	Indian Public	7 51 84 133	12.15	2	
ग	एनआरआइ / ओसीबी				
c.	NRIs/OCBs	37 06 498	0.60		
घ	कोई अन्य	- No. 100 No. 200 No. 200	201 100 201		
d.	Any Other	12 84 824	0.20		
	उप कुल		J 12 CO		
	Sub Total (a+b+c+d)	9 65 82 901	15.60		
	कुल योग				
	Grand Total	61 87 49 343	100.00	82 09 19 686	100.00

<sup>\*</sup> एल आइ सी द्वारा निर्गमन पूर्व ईक्विटी पूँजी के 5 प्रतिशत तक और भारत सरकार द्वारा रु.1675 करोड़ के पूँजी योगदान के आधार पर भारत सरकार को आबंटित शेयरों की संख्या की गणना की गयी हैं । यदि भारत सरकार / एल आइ सी के पूँजी योगदान मे कोई परिवर्तन होता है तो आबंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या और ईक्विटी पूँजी का प्रतिशत तद्नुसार परिवर्तित होगा ।

<sup>\*</sup>Number of Shares allotted to Government of India is arrived at assuming capital contribution by GoI as Rs. 1675 crore and up to 5% of pre-issue equity capital by LIC. If there is any change in the capital contribution by GoI/LIC number of shares to be allotted and percentage to equity capital will vary accordingly.



- घ. सेबी आइसीडीआर विनियमों में सूचित निर्धारित समय के अंदर ही इश्यू प्रक्रिया पूरा करने के लिए बैंक प्रयासरत है।
- च. चूँकि इश्यू भारत सरकार प्रमुख शेयरधारक के लिए प्रस्तावित है, इसलिए बैंक के प्रवर्तक और एलआइसी नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

इश्यू के पहले और बाद की भारत सरकार की शेयरधारिता निम्नवत होगी:

	शेयरों की संख्या	पूँजी की प्रतिशतता
इश्यू के पहले (17 फरवरी 2012 तक)	40 75 49 343	65.87
इश्यू के बाद	57 87 82 219*	70.50*

इश्यू के पहले और बाद की **एलआइसी** की शेयरधारिता निम्नवत होगी:

	शेयरों की संख्या	पूँजी की प्रतिशतता
इश्यू के पहले (17 फरवरी 2012 तक)	6 92 10 148	11.19
इश्यू के बाद	10 01 47 615*	12.20*

<sup>\*</sup> एल आइ सी द्वारा निर्गमन पूर्व ईक्किटी पूँजी के 5 प्रतिशत तक और भारत सरकार द्वारा रु.1675 करोड़ के पूँजी योगदान के आधार पर भारत सरकार को आबंटित शेयसे की संख्या की गणना की गयी है। यदि भारत सरकार / एल आइ सी के पूँजी योगदान में कोई परिवर्तन होता है तो आबंटित (भारत सरकार औरएल आइ सी को) किए जाने वाले शेयसे की संख्या और ईक्किटी पूँजी का प्रतिशत (भारत सरकार और एल आइ सी दोनों को ) नदनुसार परिवर्तित होगा।

- छ. बैंक के ईक्विटी शेयर छ: महीनों से अधिक के लिए सूचीबद्ध हैं और तदनुसार सेबी आइसीडीआर के विनियम 76 (3) और 78 (5) के विनियम लागू नहीं है।
- ज. भारत सरकार को जारी और आबंटित सभी शेयर आबंटन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए और एलआइसी को आबंटित शेयर आबंटन की तारीख से एक साल की अवधि के लिए अंतर्बंधन में होंगे।
- झ. ईक्विटी शेयरों के आबंटन की तारीख से केंद्र सरकार द्वारा धारित सभी पूर्वअधिमानधारिता संबंधित तारीख से छ: महीनों की अविध तक अंतर्बंधन में होंगे। मौजूदा शेयरधारिता की अन्तर्बधन अविध से संबंधित प्रावधान एल आइ सी के लिए लागू नहीं होंगे।

- d) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations
- e) As the issue is proposed to be made to the Government of India the major shareholder and Promoter of the Bank and LIC, there would not be any change in control.

The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre Issue (as on 17th February 2012)	40 75 49 343	65.87
Post Issue	57 87 82 219*	70.50*

The Pre and Post issue shareholding of the LIC would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre Issue (as on 17th February 2012)	6 92 10 148	11.19
Post Issue	10 01 47 615*	12.20*

<sup>\*</sup>Number of Shares allotted to Government of India is arrived at assuming capital contribution by GoI as Rs. 1675 crore and up to 5% of pre-issue equity capital by LIC. If there is any change in the capital contribution by GoI and LIC number of shares to be allotted (to GoI and LIC) and percentage to equity capital (both GoI and LIC) undergo change accordingly.

- f) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.
- g) All the shares issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years and shares allotted to LIC shall be locked in for a period of one year from the date of Allotment.
- h) The entire pre-preferential holding of Central Government will be locked for a period of six months commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of allotment of equity shares. Provisions relating to Lock-in period of existing shareholding do not apply to LIC.



त. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र कि इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार इश्यू को जारी किया गया है, को असाधारण सामान्य बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूची करार में विनिर्दिष्ट ईक्विटी शेयरों के सूचीकरण के निबंधनों का बैंक लगातार अनुपालन कर रहा है।

संबंधित तारीखों के पूर्व छ: महीनों के दौरान भारत सरकार ने एक भी ईक्विटी शेयर को नहीं बेचा है।

एलआइसी एक बीमा कंपनी होने के नाते जनता के हित को ध्यान में रख कर संबंधित तारीख के पूर्व छ: महीनों के दौरान उसे ईक्विटी शेयरों को नहीं बेचने संबंधी विनियमनों के विनियम 72 (2) के प्रावधानों से छूट प्राप्त है।

बैंक के किसी भी निदेशक का संकल्प से कोई संबंध नहीं है और नहीं किसी निदेशक का उसमें कोई हित है।

बोर्ड के निदेशकों के आदेशानुसार,

(ए. के. बंसल ) कार्यपालक निदेशक

**दिनांक :** 21/02/2012 कार्यपालक निदेश

स्थान : चेत्रै

i) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

LIC being an insurance Company with Public Interest and is exempt from the provisions of Regulation 72 (2) of the Regulations relating to non selling of equity shares during the six months preceding the Relevant Date.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

By order of the Board of Directors

(A.K. Bansal)

**Executive Director** 

Place : Chennai Date : 21/02/2012

8



# **इपिडयन ओवरसीज बेंक** केंद्रीय कार्यालय, 763,अण्णा सालै,चेन्नै 600002

# प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरे व हस्ताक्षरित किए जाने के लिए)

		पंजीकृत पृष्ठ (यदि बेकागजीकृत है)	de la
		डीपीआइडी	
		क्लाइंट आइडी (यदि बेकागजीकृत है)	anc.
में/हम, निवासी			जिला
	ж.	राज्य	इपिडयन ओवरसीज बेंक
के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री/श्रीमती	श्री/श्रीमती		
निवासी		बिला	
राज्य के	को, अथवा इनके न होने पर, श्री/श्रीमती	र, श्री/श्रीमती	
निवासी	जिला	रीज्य	को, इगिडयन ओवरसीज़ बैंक
के शेयर थारकों की 21 मार्च 2012	को सुबह 10.30 बजे क	के शेयर धारकों की 21 मार्च 2012 को सुबह 10.30 बजे कामराज मेमोरियल हॉल, नई सं 492, अण्णा सालै, चेत्रै 600 006 में होने वाली	णा साले, चेत्रै 600 006 में होने वाली
असाधारण सामान्य बैठक और उसके	बाद स्थागित अन्य किसी	असाधारण सामान्य बैठक और उसके बाद स्थागित अन्य किसी बैठक में मुझे/हमारे लिए और मेरी /हमारी ओर से बोट देने के लिए प्रॉक्सी (एवज़ी)	ओर से बोट देने के लिए प्रॉक्सी (एवज़ी)
के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं	_		
आज वर्ष 2012 के	माह के	दिन हस्ताक्षरित	रु. 1/- का रेवेन्यू स्टैम विपकाएं
परोक्षी के हस्ताक्षर			

# पताः

नामः

प्रथम नामांकित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

# प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

- कोई भी परोक्षी (प्रॉक्सी ) लिखत तभी वैद्य होगा जब वह
- एकल शेयरधारक के मामले में या तो स्वयं शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित हो या फिर उनके अटानीं द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
- संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित पहले शेयरधारक या उनके अटानीं द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
- संघ निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा या एटनीं द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो।
- प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा पूरी तरह हस्ताक्षरित होना चाहिए। यदि किसी कारणवश शेयरधारक हस्ताक्षर नहीं कर पाता तो वह अपना निशान अंकित कर सकता है और जिसका सत्यापन किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आश्वासनों के पंजीकार या उप-पंजीकार या अन्य सरकारी राजपतित अधिकारी या इण्डियन ओवरसीज़ बँक के किसी अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। ri
  - म्खारनामे के साथ या अन्य कोई प्रधिकारी (यदि कोई हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षरित किये गये हैं, के साथ प्रॉक्सी सहित या ä
- किसी नोटरी पब्लिक या दण्डाधिकारी द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामे या प्राधिकारी की प्रति इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्रधान कार्यालय में महा प्रबंधक ( निवेशक संबंध ), इण्डियन ओवरसीजबैंक ,केंद्रीय कार्यालय , 763 अण्णा सालें, चेन्नई - 600 002 के यहाँ असाथारण सामान्यबैठक की तारीख से चार दिन पूर्व (उससे कम नहीं. ) यानी शुकवार, 16 मार्च 2012 को बैंक के कार्यसमय की समालि से पूर्व जमा करा दिया जाना है। <u>(</u>
- प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक विधि स्टाम्प नहीं लगाया गया हो। 4.
- बैंक में जमा किया गया प्राक्सी का लिखत अंतिम व अप्रतिसंहरणीय होगा।
- दो व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर किए गए प्राक्सी के लिखत के मामले में एक ही फार्म निष्पादित किया जाना है।
- जिस शेयर धारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित किया है वह संबंधित असाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। 3
- इग्डियन ओबरसीज बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।



#### PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

		,	
	Regd. Fo	olio	
		ematerialised)	
	DP ID		
	Client IL		
	(If demai	terialised)	
I/We		resident(s) of	in the
district of in the State of			
Bank, Chennai, hereby appoint Shri/Smt.		resident of	
Bank, Chennai, hereby appoint Shri /Smt. in the district of	in the State of	OI	R failing him/her,
Shri/Smt.	resident of		in the district of
in the state	ofas	s my/our proxy to vote	for me / us and on
my / our behalf at the Extraordinary Genera			
21st March, 2012 at 10:30 A.M. at Kamra	aj Memorial Hall, New No. 4	192, Anna Salai, Chem	nai 600 006 and at
any adjournment thereof.			
Signed thisday of	2012.	Please Affix Re.1/- Revenue Stamp	
Signature of Proxy			
Name:			
Address:	Signatu	re of First named/Sole	Shareholder
INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGIN  1. No instrument of proxy shall be valid unless	G THE PROXY FORM		
1. No instrument of proxy shall be valid unless  a) in the case of an individual shareholder it is s	igned by him/her or his/her attorney	duly authorised in writing	

- - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing,
  - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder. If for any reason he/she is unable to sign, then his / her mark shall be affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Indian Overseas Bank.
- The proxy together with

- the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Indian Overseas Bank with the General Manager (Investor Relations), Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600 002, not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of 05.00 p.m. on Friday 16th March, 2012.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
  - An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
  - In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
  - The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
  - 4. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Indian Overseas Bank.



### उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रवेश के समय प्रस्तुत की जानी है)

तारीख: **21 मार्च 2012** समय: **सुबह 10.30 बजे** 

स्थान: कामराज मेमोरियल हॉल, नई सं.492, अण्णा सालै, चेन्नै 600 006

### में बैंक की साधारण बैठक में अपनी उपस्थिति एतद्द्वारा दर्ज़ करता हूँ।

शेयरधारक/प्राक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत पृष्ठ	डीपीआइडी
	क्लाइंट आइडी
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)	(यदि बेकागजीकृत नहीं है)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	






## इण्डियन ओवरसीज बैंक

. केंद्रीय कार्यालय, 763,अण्णा सालै,चेन्नै 600002

### प्रवेश पत्र (बैठक कर समाप्ति तक रखा जाना है)

डीपीआइडी
क्लाइंट आइडी
(यदि बेकागजीकृत नहीं हैं)

शेंयरधारकों / प्राक्सी या शेंयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रवेश - पर्ची पर बैंक के पास पंजीकृतानुसार विधिवत रूपसे हस्ताक्षर कर बैठक के स्थान पर प्रवेश के लिए प्रस्तुत करें। प्रवेश आवश्यक सत्यापन / जांच के बाद ही अनुमत होगा। किसी भी हालत में बैठक के प्रवेश स्थान पर अनुलिपि प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा।



### ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date: 21st March, 2012

Time: 10.30 A.M

Place: Kamraj Memorial Hall, New No. 492, Anna Salai, Chennai 600 006

### I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder/ Proxy/ Representative present	
Regd. Folio	DP ID
	Client ID
(If not dematerialised)	(If dematerialised)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	





### **Indian Overseas Bank**

Central Office, 763, Anna Salai, Chennai – 600 002

### **ENTRY PASS**

(To be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/ Proxy/ Representative present		
Regd. Folio	DP ID	
	Client ID	
(If not dematerialised)	(If dematerialised)	
Name of the Shareholder		
Number of Shares		· · · · · ·

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip will be issued at the entrance to the meeting.